तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा नानू-बगडा वगैरह बनाम बालु-बगडा वगैरह अ0-259/11
12/2/19	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संस्था द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया / स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक 19.3.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
	19-3-19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक........ को पेश हो। 2-5-19 आज्ञा से रीडर
	2/5/19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक........ को पेश हो। 27/6/19 आज्ञा से रीडर
	27.06.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी क्रम 01, 04 के अधिवक्ता तथा विपक्षीगण वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2011 से लम्बित होकर आज वादीगण पक्ष को प्रस्तुत करने कायम मुकाम प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. चरण हेतु नियत है। यानि वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र में आवश्यक प्रतिपूर्ति करने हेतु स्वयं वादी पक्ष ही गंभीर नही है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी पक्ष को इस

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
विषयक स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण मौजूदा वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, वादी पक्ष की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	